रजिस्ट्री सं० डी- 111

REGISTERED No. D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 15] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 14, 1973 (चैत्र 24, 1895)

No. 15] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 14, 1973 (CHAITRA 24, 1895)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

नोटिस

(NOTICE)

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 2 फरवरी 1973 तक प्रकाशित किये गये हैं :—

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 2nd February 1973 :—

अंक Issue No.	संख्या और तिथि No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject

—शून्य—

—Nil—

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी। मांग-पत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . .	443
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	557
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	17
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	437
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम . . .	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्ट . .	—
भाग II—खंड 3—उपखंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) . .	785
भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं . .	1501
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश .	129
भाग III—खंड 1—महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .	545
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	145
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	17
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं . .	1159
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें .	69
पूरक संख्या 15—	
7 अप्रैल, 1973 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी संबंधी साप्ताहिक रिपोर्ट .	457
17 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु सम्बन्धी आंकड़े	471

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	443
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	557
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	17
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	437
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB.-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (Other than the Administrations of Union Territories ..	785
PART II—SECTION 3.—SUB.SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	1501
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	129
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India ..	545
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta ..	145
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	17
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1159
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies ..	69
SUPPLEMENT No. 15	
Weekly Epidemiological Reports for week ending 7th April, 1973 ..	457
Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week ending 17th March 1973	471

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधिवत् नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 मार्च 1973

सं० एफ० 2(19)-एन०एस०/71—राष्ट्रपति ने डाकघर बचत बैंक (बढ़ने वाली सावधिक जमा) नियमावली, 1959 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाए हैं अर्थात्,

1. (1) इन नियमों का नाम डाकघर बचत बैंक (बढ़ने वाली सावधिक जमा) संशोधित नियमावली, 1973 होगा ।

(2) ये नियम 12 फरवरी, 1972 से प्रवृत्त समझे जायंगे ।

2. डाकघर बचत बैंक (बढ़ने वाली सावधिक जमा) नियमावली के नियम 11 के उपनियम (क) में "नियम 6 के अधीन बन्द न माने गये खाते से, प्रार्थना पत्र की तारीख को, कुल निकासियां बकाया रकम के 50 प्रतिशत से अनधिक "शब्द और आंकड़ों के स्थान पर" निकासियां, नियम 6 के अधीन बन्द न माने गये खाते से, प्रार्थना पत्र की तारीख को, प्रत्येक बार बकाया रकम के 50 प्रतिशत तक सीमित" शब्द और आंकड़े रखे जाये ।

ए० वी० श्रीनिवासन, अवर सचिव

भारी उद्योग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 मार्च 1973

संकल्प

सं० 3-1/72-एम०टी०—भारत सरकार ने संकल्प संख्या 3-1/70-एम०टी० दिनांक 11-10-1971 के द्वारा भट्ठी उद्योग के विकास से संबंधित विभिन्न मामलों की समीक्षा करने तथा इस उद्योग के सामने आने वाली विभिन्न समस्याओं पर समय-समय पर उचित सुझाव देने के विचार से भट्ठी उद्योग के हेतु एक नामिका का गठन किया था । नामिका का कार्यकाल समाप्त हो जाने पर, अब भट्ठी उद्योग की नामिका का पुनर्गठन करने का निश्चय किया गया है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

1. श्री आर० के० गेज्जी, अध्यक्ष
निदेशक,
केन्द्रीय मशीनी औजार संस्थान,
बंगलौर-22 ।

2. श्री एच० टी० मखीजानी, सदस्य
(अध्यक्ष, औद्योगिक भट्ठी डिवीजन इण्डियन इंजीनियरिंग एसोसियेशन, कलकत्ता),
तथा प्रधान तकनीकी एक्जीक्यूटिव,
मे० वेस्टर्न वर्क इंजीनियर्स प्रा० लि०
5-डी० नारीमन रोड, चर्चगेट,
बम्बई-20 (वी० आर०) ।

3. श्री वाई० पी० वत्स, सदस्य
ग्रुप मैनेजर (भट्ठी),
मे० जनरल इलेक्ट्रिक कम्पनी आफ इंडिया लि०,
6, चित्तरंजन एवेन्यू,
कलकत्ता-13 ।

4. श्री अर्जुन बसवानी, सदस्य
प्रबन्ध निदेशक,
मे० वेस्मन इंजीनियरिंग कम्पनी लि०,
1/2 एलेनबरी रोड,
कलकत्ता-20 ।

5. श्री एम० एस० मलानी, सदस्य
मे० वल्कन इंजीनियर्स प्रा० लि०,
महालक्ष्मी चैम्बर्स, मूलाभाई देसाई रोड,
बम्बई-26 (प० क्र०) ।

6. श्री ए० के० जैन, सदस्य
विकास अधिकारी, इस्पात मंत्रालय,
नई दिल्ली ।

7. श्री पी० सी० लाहा, सदस्य
उप मुख्य इंजीनियर (सी०ई०डी०बी०),
हिन्दुस्तान स्टील लि०, रांची ।

8. श्री जी० एन० रामशेषन, सदस्य
ए० डी० जी० ओ० एफ० (प्रोजेक्ट),
महानिदेशक, आर्डनेंस फैक्टरी,
44-पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता-16 ।

9. श्री पी० आर० दास गुप्ता, सदस्य
उप सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय,
उद्योग भवन, नई दिल्ली ।

10. श्री गुरबख्श सिंह, सदस्य
औद्योगिक सलाहकार (टूल्स),

तकनीकी विकास का महानिदेशालय,
उद्योग भवन, नई दिल्ली ।

11. श्री आर० एन० बसु, सदस्य सचिव
विकास अधिकारी (टूल्स),
तकनीकी विकास का महानिदेशालय,
उद्योग भवन, नई दिल्ली ।

नामिका का कार्यकाल एक वर्ष का होगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प की एक एक प्रति सभी संबंधित व्यक्तियों को भेजी जाए और इसे सर्व साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित किया जाये ।

एस० एम० घोष, संयुक्त सचिव

इस्पात और खान मंत्रालय

(इस्पात विभाग)

दुर्गापुर, दिनांक 30 मार्च 1973

संकल्प

सं० 18(5)/72—लोहे तथा इस्पात और मिश्र-इस्पात के आयोजन, विकास, उत्पादन तथा वितरण के लिए प्राक्कलन समिति की इस्पात और खान मंत्रालय (इस्पात विभाग) सम्बन्धी 20वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर सरकार ने इस्पात कारखानों की पुनर्वेलन मिलों में प्राप्त होने वाले दोषयुक्त रद्दी माल तथा स्क्रैप के अधिक होने के कारणों की जांच करने तथा इस स्थिति में सुधार लाने के उपाय सुझाने के लिए सरकार ने अगस्त 1972 में इस्पात और खान मंत्रालय (इस्पात विभाग) के वरिष्ठ औद्योगिक सलाहकार श्री हरि भूषण की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति गठित की थी । समिति ने फरवरी, 1973 में अपनी रिपोर्ट दी थी ।

2. समिति के मुख्य निष्कर्ष तथा सिफारिशें इस प्रकार हैं :—

(i) इस्पात कारखाने के परिचालन में अचानक रुकावटें आने से न केवल उत्पादन की हानि होती है और कारखाने तथा उपस्करों को क्षति पहुंचती है बल्कि इसका विक्रय उत्पादों के उत्पादन और उत्पादों की क्वालिटी पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है । सरकार तथा इस्पात कारखाने के प्रबन्धकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि कारखाने के परिचालन में कोई बाधा न आने पाए और कारखाने का उत्पादन निर्धारित क्षमता तक ले जाने के लिए सभी सम्भव उपाय करने चाहिएं । कारखाने के निर्धारित क्षमता पर उत्पादन करने से इष्टतम अनुशासन और समन्वय होगा । जिससे सामग्री और शक्ति और ताप संतुलन ठीक ढंग से बना रहेगा जिसके फलस्वरूप उत्पादन दोषयुक्त माल तथा स्क्रैप की उपलब्धि में उल्लेखनीय सुधार होगा ।

(ii) इस्पात पिंडों तथा अर्धतैयार माल के अधिक अवधि तक पड़े रहने से उसमें जंग तथा दाग पड़ जाते हैं । और जब उनसे आगे माल तैयार किया जाता है तो दोषपूर्ण माल और स्क्रैप अधिक निकलता है । ठंडे इस्पात पिण्डों को चार्ज करने से भी दोषपूर्ण माल तथा स्क्रैप अधिक निकलता है । इस्पात कारखानों को सामान्य रूप से तथा दुर्गापुर इस्पात कारखाने को विशेष रूप से पिण्डों तथा अर्ध तैयार माल के स्टाक को खत्म करने के लिए कारगर कदम उठाने चाहिएं । हाल में निकले माल दोषयुक्त माल से शीघ्रातिशीघ्र परिरूपित उत्पादों में बदल देना चाहिए तथा पिण्डों और अर्ध तैयार माल को अधिक समय के लिए स्टाकयार्डों में नहीं रहने देना चाहिए। अगर इस माल का तात्कालिक इस्तेमाल न हो सके तो इस्पात कारखानों को चाहिए कि उन्हें अधिक समय के लिए जमा रखने के बजाए बेच दें ।

(iii) पिण्डों/अर्ध तैयार माल के मिश्रण से अधिक मात्रा में आफ ग्रेड माल निकलता है । उचित रख-रखाव तथा पिण्डों/अर्ध तैयार माल/तैयार उत्पादों को ठीक शिनाख्त के लिए ठीक निशानदेही/पुनः निशानदेही अथवा गर्म मोहर तकनीक द्वारा निशानदेही होनी चाहिए ।

(iv) भारतीय मानक संस्था को चाहिए कि पिण्डों/अर्ध तैयार माल जिसमें अन्तर नहीं किया जा सकता परन्तु प्रत्येक का नमूना लेकर तथा दूसरे तरीकों से उनका विश्लेषण किया जा सकता है, जैसे वाणिज्यक ग्रेड के उत्पादों के लिए एक उचित मानक तैयार करें ।

(v) इस्पात कारखानों में अक्सर आपसी परामर्श से उत्पादन तथा रख-रखाव तकनीक में सुधार लाने तथा उच्च अनुशासनिक प्रौद्योगिक अनुशासन लाने में सहायता मिलेगी । उपयुक्त तकनीकी सम्पर्क समितियां, जिनमें सभी मुख्य इस्पात कारखानों के सदस्य हों बनाई जानी चाहिए और विचारों के आदान प्रदान के लिए उनकी सावधिक बैठकें होनी चाहिएं । प्रत्येक मुख्य उत्पादन क्षेत्र की अलग-अलग समितियां होनी चाहिए ।

(vi) इस्पात कारखानों को प्रत्येक प्रक्रिया स्तर पर प्राप्त होने वाले दोषयुक्त माल तथा स्क्रैप को प्रौद्योगिक अनुशासन तथा वास्तविक उत्पादन की प्रायः समीक्षा करके कम करने के लगातार प्रयत्न करने चाहिएं और यथावश्यक उपचारात्मक उपाय करने चाहिएं ।

(vii) भिलाई इस्पात कारखाने पिण्डों के रनिंग स्टापर टीमिंग के कारण रद्दी माल बहुत निकला । अच्छी तापसह ईंटों तथा अच्छी विधियों द्वारा उसे दूर किया जाना चाहिए । रेल ब्लूमों को अच्छी प्रकार कंडीशन करना चाहिए तथा अपरीक्षित/आफ ग्रेड रेल की पटरी के उत्पादन को कम करने के लिए क्वालिटी कंट्रोल तथा निरीक्षण को और कड़ा करना चाहिए ।

3. सरकार ने समिति की सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं और इन्हें विभिन्न इस्पात कारखानों तथा स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० के ध्यान में लाया जा रहा है। ताकि वे इन सिफारिशों पर आवश्यक कार्यवाही कर सकें। भारतीय मानक संस्थान सम्बन्धी समिति के सिफारिश के बारे में उस संस्थान से लिखा पढ़ी की जा रही है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

क० वे० रामनाथन्, संयुक्त सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 मार्च 1973

प्रस्ताव

सं० 32-6/73-प० वि० III—भारत सरकार ने पशुओं के लिए दाने-चारे की पर्याप्त और समुचित सप्लाई करने के लिये आवश्यक उपायों पर विचार करने तथा उनके लिए सस्ते चारे की व्यवस्था करने के लिए, खोई, मोलासेज, यूरिया, एवं अन्य औद्योगिक व्यर्थ पदार्थों अथवा उपोत्पादों का क्रमबद्ध और मितव्ययी उपयोग करने के उद्देश्य से एक समिति गठित करने का निर्णय किया है।

समिति का गठन निम्न प्रकार से किया जायेगा :—

अध्यक्ष अपर सचिव (उत्पादन)

सदस्य— 1. पशु पालन आयुक्त, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

2. डा० पी० भट्टाचार्य, सदस्य, राष्ट्रीय कृषि आयोग।

3. श्री मनुभाई देसाई, भारतीय एग्रो इन्डस्ट्रीज फाउन्डेशन, यूरतली कंचन, महाराष्ट्र।

4. मुख्य निदेशक, शुगर एंण्ड वनस्पति, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

5. श्री एन० सी० कृष्णामूर्ति, सलाहकार, पेट्रो-केमिकल्स, भारत सरकार, नई दिल्ली।

6. डा० के० सी० तिवारी, विकास अधिकारी, तकनीकी विकास महानिदेशालय, नई दिल्ली।

7. भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर (यू० पी०) का एक प्रतिनिधि।

8. डा० ओ० एन० सिह, संयुक्त आयुक्त (एल०पी०), कृषि विभाग तथा सदस्य-सचिव, गौ संवर्धन सलाहकार परिषद्, नई दिल्ली।

9. राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल (हरियाणा) का एक प्रतिनिधि।

10. यौगिक चारा विनिर्माता संघ का एक प्रतिनिधि।

11. डा० एस० एन० राय, पोषाहार विशेषज्ञ, उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पंत नगर (उत्तर प्रदेश)।

12. डा० एन० डी० केहर, न्यूट्रीशिनिष्ट, 22/12, पंजाबी बाग, नई दिल्ली-26।

13. अर्थ एवं सांख्यिकी सलाहकार, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली।

सचिव :— श्री वी० के० मलिक,
निदेशक, पशुपालन प्रभाग,
कृषि विभाग।

संयोजक : डा० ए० एन० घोष,
उपायुक्त (दाना-चारा)
कृषि विभाग।

समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :—

(1) पांचवीं योजनावधि में सारे देश में यौगिक पशु आहार के लिए मूल पदार्थों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाना।

(2) पशु आहार तथा अन्य प्रयोगों के लिए उपरोक्त उपोत्पादों की उपलब्धि का अनुमान लगाना।

(3) खोई, मोलासेज, यूरिया तथा अन्य औद्योगिक उपोत्पादों और व्यर्थ पदार्थों का पशु आहार के रूप में प्रयोग करने की वांछनीयता की जांच करना।

(4) इन वस्तुओं को पशु आहार के लिए उपलब्ध कराने हेतु मूल्य और वितरण-नियंत्रण के संबंध में आवश्यकतानुसार उपाय सुझाना, तथा

(5) सूखे की अवधि में पशुओं के दाने-चारे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सुझाव देना।

समिति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छः महीने के अन्दर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस प्रस्ताव की एक-एक प्रति समस्त राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों तथा भारत सरकार के मंत्रालयों के विभागों, योजना आयोग, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधान मंत्री सचिवालय, लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय को भेज दी जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सार्वजनिक जानकारी के लिये यह प्रस्ताव भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

वी० के० मलिक, निदेशक,
पशु-पालन प्रभाग

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(पुनर्वास विभाग)

नई दिल्ली-11, दिनांक 26 मार्च 1973

संकल्प

विषय : पश्चिम बंगाल में पुनर्वास कार्य के लिए समीक्षा समिति

सं० 1(4)/72-समीक्षा समिति—भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल में पुनर्वास कार्य के लिए समीक्षा समिति की सदस्यता से सर्वश्री पी० के० मुखर्जी, संसद सदस्य तथा सुबोध चन्द्र हन्सदा,

संसद सदस्य का त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है। इनकी नियुक्तियां भारत सरकार के श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय (पुनर्वास विभाग) के संकल्प संख्या 1(4)/72-समीक्षा समिति, दिनांक 16 नवम्बर, 1972 द्वारा अधिसूचित की गई थीं।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति निम्नलिखित को भेज दी जाए :—

1. समीक्षा समिति के सदस्य ।
2. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
3. योजना आयोग, प्रधान मंत्री का सचिवालय, मंत्रिमंडल का सचिवालय तथा राष्ट्रपति के निजी तथा सैनिक सचिव ।
4. राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिव ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सर्व साधारण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाए ।

जी० एस० काहलों, सचिव

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

New Delhi-1, the 24th March 1973

No. 4/6/72-AIS(IV).—In Notification No. 4/6/72-AIS(IV), dated the 30th December, 1972, of the Department of Personnel, published in Part I Section 1 of the Gazette of India dated the 23rd December, 1972, the following amendments may be carried out in the rule for the Indian Forest Service (Released E.C. and S.S.C. Officers) Examination, 1973.

In appendix IV to the above said rules :—

1. For the existing Note (1) under Regulation 7 of Regulations relating to the physical Examination of candidates, the following may be substituted, namely :—

"Note : (i) Fundus Examination—In every case of Myopia Fundus Examination should be carried out and the results recorded. In the event of pathological condition being present which is likely to be progressive and effect the efficiency of the candidate, he/she should be declared unfit.

The total amount of Myopia (including the cylinder) shall not exceed 4.00 D. Total amount of Hypermatropia (including the cylinder) shall not exceed —4.00 D.

2. Against item I—'Distance between lamp and candidate' appearing below note (2) (ii) under Regulation 7 of the aforesaid Regulations, the existing figures and words "4.9 metres shall be substituted by the figures and words "16 feet"

AIS (IV) SECTION

No. 4/6/72-AIS(IV).—In the Department of Personnel's Notification No. 4/6/72-AIS(IV), dated the 30th December, 1972, published in Part I Section 1 of the Gazette of India dated 30th December, 1972, the following corrections may be made :—

Reference	*Correction*
Rules	
Page 1329, rule 1, line 13.	Add word 'shall' between the words 'rule' and 'cease'.
Page 1329, rule 6(b)(iii) line 3.	For the word 'rom' substitute the word 'from'.
Page 1330, rule 6(b)(xvi) line 6.	For the words 'Shri Lanka' substitute the word 'Sri Lanka'.
Page 1330, rule 6(c) line 7.	For the figure '25 substitute the figure '35'.
Page 1330, rule 9(iii) line 1.	For the word 'invalid' substitute the word 'invalided'.
Page 1331, rule 19 line 3.	Add sign '/' after the word 'Commissioned'.
Page 1332, item 5.	Add the indication "*" over the figure "5".
Page 1335 para 11(a)3(i)—line 3—Perforation of tympanic membrane of Central or marginal type.	For the word 'membrano' substitute the word 'membrane'.
—do— line 7.	For the word 'teporarily' substitute the word 'temporarily'. 'temporarily'.

M. R. BHARDWAJ, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 28th March 1973

No. F.2(19)-NS/71.—The President hereby makes the following rules further to amend the Post Office Savings Bank (Cumulative Time Deposits) Rules, 1959, namely :—

1. (1) These rules may be called the Post Office Savings Bank (Cumulative Time Deposits) Amendment Rules, 1973.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 12th February, 1972.

2. In sub-rule (a) of rule 11 of the Post Office Savings Bank (Cumulative Time Deposits) Rules, 1959, for the words and figures "withdrawals totalling not more than 50 per cent of the balance as on date of application not being an account treated as discontinued under rule 6", the words and figures "Withdrawals restricted to 50 per cent of the balance each time, on the date of application from an account not treated as discontinued under rule 6", shall be substituted.

A. V. SRINIVASAN, Under Secy.

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRY

New Delhi, the 23rd March 1973

RESOLUTION

No. 3-1/72-MT.—Government of India had constituted a Panel for Furnace Industry *vide* Resolution No. 3-1/70-MT, dated 11th October 1971 with a view to examine the various matters relating to the development of the Industrial Furnace Industry, keeping them under review and suggesting solutions to various problems facing the industry from time to time. The term of the Panel had expired and it has now been decided to reconstitute the Panel for Furnace Industry with the following Members :—

Chairman

1. Shri R. K. Gejji, Director, Central Machine Tool Institute, Bangalore-22.

Members

2. Shri H. T. Makhijani, (Chairman, Industrial Furnaces Division, Indian Engineering Association, Calcutta) and Chief Technical Executive, M/s. Westerwork Engineers Private Ltd., 5-D Vulvan Insurance Building, Veer Nariman Road, Churchgate, Bombay-20 (ER).
3. Shri Y. P. Vatsa, Group Manager (Fprnaces), M/s. General Electric Company of India Ltd., 6, Chittaranjan Avenue, Calcutta-13.

4. Shri Arjan Vaswani, Managing Director, M/s. Wesman Engineering Company Ltd., 1/2, Allenbery Road, Calcutta-20.
5. Shri M. S. Malaney, M/s. Vulcan Engineers Pvt. Ltd., Mahalaxmi Chambers, Bhulabhai Desai Road, Bombay-26 (WB).
6. Shri A. K. Jain, Development Officer, Ministry of Steel, New Delhi.
7. Shri P. C. Laha, Deputy Chief Engineer (CEDB), Hindustan Steel Limited, Ranchi.
8. Shri G. N. Ramaseshan, A.D.G.O.F. (Project, Directorate-General of Ordnance Factories, 6, Esplanade East, Calcutta-1.
9. Shri P. R. Dasgupta, Deputy Secretary, Ministry of Heavy Industry, Udyog Bhavan, New Delhi.
10. Shri Gurbaksh Singh Industrial Adviser (Tools), Directorate-General of Technical Development, Udyog Bhavan, New Delhi.

Member-Secretary

11. Shri R. N. Basu, Development Officer (Tools), Directorate-General of Technical Development, Udyog Bhavan, New Delhi.

The term of the Panel would be one year.

ORDER

ORDERED that a copy of the above Resolution be communicated to all concerned and that it be also published in the Gazette of India for general information.

S. M. GHOSH, Joint Secy.

MINISTRY OF STEEL AND MINES
(Department of Steel)

New Delhi, the 30th March 1973

RESOLUTION

No. DUR-18(5)/72.—On the basis of a recommendation made by the Estimates Committee in their 20th Report on Ministry of Steel and Mines (Department of Steel)—Planning, Development, Production and Distribution of Iron & Steel and Ferro-Alloys, Government constituted in August, 1972, a Technical Committee under the chairmanship of Shri Hari Bhushan, Senior Industrial Adviser in the Ministry of Steel and Mines (Department of Steel) to investigate the reasons for high arising of defectives, rejects and scrap in the rolling mills in the Steel Plants and to suggest measures to remedy this situation. The Committee submitted its report in February, 1973.

2. The major conclusions and recommendations of the Committee are as under :—

(i) Unplanned interruptions in steel plant operations, apart from leading to loss in production and possible damage to the plant and equipments, have greatest impact on the yield of saleable products and product quality. Government and the steel plant managements should take all possible steps to run the plants without any unplanned interruptions and restore the working to capacity levels. It is working to capacity level which would generate the optimum level of discipline and coordination, result in proper flow of material and energy and heat balance which would have a marked all round improvement in yields, arising of defectives, scrap etc.

(ii) Stocking of ingots and semis for long periods in the stockyards leads to rusting and pitting which on further processing, yield higher percentage of defectives and scrap. Charging cold ingots also leads to higher arisings of defectives and scrap. The Steel Plants in general and Durgapur Steel Plant in particular should take effective steps to liquidate their stocks of ingots and semis. The current arisings should be processed into finished products expeditiously and ingots and semis should not be allowed to be stored in the stockyard over long periods. If these materials canont be processed immediately the steel plants might consider selling out these products instead of storing over long periods.

(iii) Mix-up ingots/semis leads to high arisings of off-grades. Proper maintenance and the retention of identification of ingots/semis/finished products should be carefully attended to by improved marking/remarking methods or by hot stamping techniques.

(iv) Indian Standards Institution may consider evolving a suitable standard for commercial grade products produced from ingots/semis whose cast identify has been lost, but by individual sampling or other methods, could be categorised into certain analysis groups.

(v) Frequent mutual consultations amongst steel plants would help them improve production and maintenance techniques and achieve higher technological discipline. Suitable technical liaison Committees consisting of members from all the main steel plants should be set up which should meet periodically for exchange of views. Each main production area may have separate Committees.

(vi) Steel Plants should make continuous efforts to bring down arisings of defectives and scrap at each process stage by enforcing higher level of technological disciplines and frequent review of actual performance and take remedial measures where necessary.

(vii) In Bhilai Steel Plant, bulk of the rejections have been due to running stopper teeming of ingots. The should be remedied by using better refractories and practices. The conditioning of rail blooms should be intensified and more rigorous quality control and inspection should be undertaken to reduce the arisings of untested/off-grade rails.

3. All the recommendations of the Committee have been accepted by the Government. These are being brought to the notice of the various steel plants and the Steel Authority of India Limited for necessary action. The recommendation of the Committee relating to the Indian Standards Institution is being taken up with that body.

K. V. RAMANATHAN, Jt. Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE
(Department of Agriculture)

New Delhi, the 27th March 1973

RESOLUTION

No. 32-6/73-L.D.III.—The Government of India have decided to constitute a Committee to look into the measures necessary for ensuring adequate and proper supply of feed and fodder for livestock and for making a systematic and economic use of Eagasse, Molasses Urea and other industrial waste or by-products for providing cheap feed to livestock.

The Committee will consist of the following :—

Chairman

(Additional Secretary (P).

Members

1. Animal Husbandry Commissioner, Ministry of Agriculture, Government of India, New Delhi.
2. Dr. P. Bhattacharya, Member, National Commission on Agriculture, New Delhi.
3. Shri Manubhai Desai, Bhartiya Agro-Industries Foundation, Urali Kanchan, Maharashtra.
4. Chief Director, Sugar & Vanaspati, Ministry of Agriculture, Government of India, New Delhi.
5. Shri N. C. Krishnamurti, Adviser, Petro-Chemicals Government of India, New Delhi.
6. Dr. K. C. Tiwari Development Officer, Directorate General, Technical Development, New Delhi.
7. A Representative of the Indian Veterinary Research, Institute.
8. Dr. O. N. Singh, Joint Commissioner (LP), Deptt. of Agriculture and Member-Secretary, Gosamvardha Advisory Council.
9. A Representative of National Dairy Research Institute, Karnal (Haryana).
10. A Representative of the Compound Food Manufacturers' Association.
11. Dr S. N. Rav Emeritus Professor in Nutrition, U.P. Agriculture University, Pantnagar (U.P.),

12. Dr. N. D. Kehar, Nutritionist, 22/12, Punjabi Bagh New Delhi-26.

13. Economic & Statistical Adviser, Ministry of Agriculture, New Delhi.

Secretary

Shri V. K. Malik, Director, Animal Husbandry Division, Department of Agriculture, New Delhi.

Convenor

Dr. A. N. Ghosh, Deputy Commissioner (Feed & Fodder), Department of Agriculture.

The terms of reference of the Committee will be as follows :—

(i) to assess the country-wide requirements of ingredients for the purpose of compounded cattled feed during the 5th Plan period;

(ii) to assess the availability of the above products for livestock feed *vis-a-vis* other uses;

(iii) to examine the desirability of the use of Bagasse, Molasses, Urea and other industrial and agricultural by-products and waste as constituents for livestock food;

(iv) to suggest measures, if any necessary by way of price and distribution control for making these materials available for livestock food; and

(v) to suggest measures that can be taken to meet cattle feed and fodder requirements for periods of drought.

The Committee will submit its report within a period of six months from the date of the publication of this notification.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments Administrations of Union Territories and the Departments of the Ministries of the Govt .of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Lok Sabha Secretariat and Rajya Sabha Secretariat.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

V. K. MALIK, Director,
Animal Husbandry Division

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Rehabilitation)

New Delhi-11, *the 26th March* 1973

RESOLUTION

Subject :—Committee of Review of Rehabilitation Work in West Bengal.

No. 1(4)/72-COR.—The Government of India have accepted the resignations from the membership of the Committee of Review of Rehabilitation Work in West Bengal, of S/Shri P. K. Mukherjee, M.P. and Subodh Chandra Hansda, M.P., whose appointments were notified in the Government of India, Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Rehabilitation) Resolution No. 1(4)/72-COR, dated the 16th November, 1972.

ORDER

ORDERED that the copy of the Resolution be communicated to :—

1. The Members of the Committee.
2. All Ministries/Departments of the Government of India.
3. The Planning Commission, The Prime Minister's Secretariat, The Cabinet Secretariat, and the Private and Military Secretaries to the President.
4. The Chief Secretaries to the State Government/Union Territories.

ORDERED also that a copy of the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

G. S. KAHLON, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973